भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3198

06 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र शहरी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाएं

†3198. **श्री कामाख्या प्रसाद तासाः**

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक अवसंरचना के विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा तैयार की गई योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न विकास उपायों और परियोजनाओं के माध्यम से उत्तर-पूर्वी के विकास की दिशा में अपने प्रयासों को लगातार आगे बढ़ा रही है और यदि हां**,** तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है**;**

(ख) तीन किस्तों में विस्तारित परियोजनाओं सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र शहरी विकास कार्यक्रम (एनईआरयूडीपी) योजना के अंतर्गत शुरू की गई परियोजनाओं की स्थिति क्या है**;** और

(ग) उत्तर-पूर्वी राज्यों के विकास के लिए सरकार द्वारा अब तक की गई पहलों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) और (ग) संविधान के अनुच्छेद 243डब्ल्यू के उपबंधों के अनुसार, सातवीं और बारहवीं अनुसूची के संयोजन में, शहरी विकास से संबंधित मामले राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों के क्षेत्राधिकार में आते हैं। तथापि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को अपने प्रमुख मिशनों/कार्यक्रमों अर्थात अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 (अमृत 2.0), स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम), स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 (एसबीएम-यू 2.0), प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएम-यू), पीएम-ईबस सेवा आदि के माध्यम से अपने शहरी विकास एजेंडे में कार्यक्रमपरक सहायता प्रदान करता है। इन मिशनों/स्कीमों/परियोजनाओं का कार्यान्वयन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा इन मिशनों के अंतर्गत कवर किए गए शहरों और कस्बों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए मिशन दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है।

भाग (ख): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र शहरी विकास कार्यक्रम (एनईआरयूडीपी) योजना, एशियाई विकास बैंक (एडीबी) द्वारा वित्त पोषित योजना थी, जो वर्ष 2009 में शुरू हुई और दिनांक 31.03.2022 को समाप्त हुई। इसमें पूर्वोत्तर के 5 बड़े शहरों नामत: अगरतला (त्रिपुरा), आइजोल (मिजोरम), गंगटोक (सिक्किम), कोहिमा (नागालैंड) और शिलांग (मेघालय) शामिल थे। 3 चरणों में कुल 84 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई। 84 परियोजनाओं में से 83 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और मार्च, 2022 में नागालैंड राज्य सरकार के अनुरोध पर 1 परियोजना को बंद कर दिया गया था।
